

ई-मेल/वैबसाईट के माध्यम से

सेवा में

हरियाणा राज्य में सभी विभागाध्यक्ष।

यादि कमांक: टीए-हर(5टी)2025 /

दिनांक :

विषय :

मुख्यालय में लिपिक के पद पर स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. विषयालिखित मामले में आपको सूचित किया जाता है कि खजाना तथा लेखा विभाग (मुख्यालय) में लिपिक का 01 पद-रिक्त है जोकि स्थानांतरण आधार पर भरा जाना है। इस पद को विभागीय सेवा-नियमानुसार हरियाणा सरकार के अन्य विभागों में कार्यरत उन लिपिकों के माध्यम से भरा जाना है जो बतौर लिपिक कम से कम 02 वर्ष का कार्य अनुभव व जिसके विरुद्ध कोई जांच/शिकायत/चार्जशीट लंबित न हो तथा जिसकी गोपनीय रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी एवं ईमानदारी बारे संदेह न हो।

अतः उपरोक्त अनुसार यदि आपके विभाग में कोई लिपिक इस विभाग के मुख्यालय में लिपिक के पद पर स्थानांतरण आधार पर नियुक्ति का ईच्छुक हो और उक्त वर्णित शर्तें पूर्ण करता हो, तो उस लिपिक का नाम गोपनीय रिपोर्ट समरी के साथ इस विभाग को दिनांक 31-07-2025 तक भिजवाना सुनिश्चित करें। इस विभाग में स्थाई होने तक कर्मचारी का लियन उसके पैतृक (Parent) विभाग में रहेगा। निर्धारित तिथि उपरांत भेजे गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि निर्धारित तिथि तक कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ, तो यह समझा जाएगा कि कोई भी योग्य लिपिक इस विभाग में स्थानांतरण आधार पर नियुक्त होने का ईच्छुक नहीं है।



संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० कमांक टीए-हर(5टी)2025 / 4668

दिनांक : 17/07/2025

✓ उपरोक्त की एक प्रति श्री सुनील बहल, प्रोग्रामर को विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ भेजी जाती है।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कृते: महानिदेशक, खजाना तथा लेखा विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़। 